

फाइल सं. ए.12018/15/2019-लेप

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चंगलपट्टू, में स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड । (समूह 'ग' पद) के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चंगलपट्टू में स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड । (समूह 'ग' पद) के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव, श्री शोरन सिंह, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 508- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं। [shorn.singh27@gov.in](mailto:shorn.singh27@gov.in)

*शोरन सिंह*

(शोरन सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061436

नई दिल्ली

दिनांक

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख ..... 2021.

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टु में स्टॉफ कार चालक ग्रेड-1 के पद पर भर्ती की पञ्चति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः -

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टु, स्टॉफ कार चालक ग्रेड-1 (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 होगा।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पञ्चति, आयु सीमा, अहंता आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पञ्चति, आयु सीमा, अहंताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरहंता- वह व्यक्ति-**

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है;
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
स्टॉफ कार चालक ग्रेड-1	02* (2021)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)।	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(11)</p> <p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>स्टॉफ कार चालक ग्रेड-1 में वैतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4 में छः वर्ष की नियमित सेवा के साथ अथवा स्टॉफ कार चालक ग्रेड-1 तथा स्टॉफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) में पंद्रह वर्ष की संयुक्त सेवा; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो।</p>	<p>(12)</p> <p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप निदेशक (महामारी विज्ञान), केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टु - अध्यक्ष</li> <li>2. सहायक निदेशक (महामारी विज्ञान), केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टु - सदस्य</li> <li>3. सहायक निदेशक (माइक्रोबायोलॉजी), केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टु - सदस्य</li> <li>4. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टु - सदस्य।</li> </ol>	<p>(13)</p> <p>लागू नहीं होता।</p>

फा.सं. ए.12018/15/2019-कुष्ठ

(शेरन सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार